महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 13.10.2008 **समय : प्रातः 11.00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. माया बंसल, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3	प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत, अजमेर (कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य)	सदस्य
4	प्रो. के.सी. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य)	सदस्य
5.	प्रो. एस.डी. मिश्रा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
6.	डॉ. ओ.पी. गुप्ता, विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (शासन सचिव, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	श्री आर.सी. चतुर्वेदी (कोषाधिकारी), अजमेर (शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	श्री एन.के. शर्मा, कुलसचिव	सदस्य सचिव
	श्री दयाल चन्द, वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	श्री पी.के. गोयल, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

बैठक की विधिवत् कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी का हार्दिक स्वागत किया एवं प्रबन्ध बोर्ड के नए सदस्य प्रो. एस.डी. मिश्रा, प्रो. के.सी. शर्मा और डॉ. माया बंसल का स्वागत करते हुए उनका परिचय कराया।

बोर्ड ने निवर्तमान सदस्य प्रो. सुरेन्द्र उपाध्याय, जयपुर, प्रो. के.सी. शर्मा, जयपुर, श्री सुभाष बहेड़िया, विधायक (भीलवाड़ा) और श्री भागीरथ चौधरी, विधायक (किशनगढ़) द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

मद संख्या	विवरण	संबंधित अनुभाग

मद सं. 1 प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11.06.2008 के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र.एफ.13(61)शैक्ष.।/मदसविवि/2008/32895-909 दिनांक 04.07.2008 द्वारा प्रेषित की गई। **शैक्षणिक-।**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।**

मद सं. 2 दिनांक 11.06.2008 को संपन्न 63वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-I)** **शैक्षणिक-।**

निर्णय **दिनांक 11 जून, 2008 को सम्पन्न प्रबन्ध बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार प्रस्तुत की गई अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन अग्रांकित प्रेक्षणों के साथ किया गयाः-** **संस्थापन**

<u>निर्णय सं.3 के निर्णय संख्या 32 पर प्रेक्षण :</u>

बोर्ड पर कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् के संयोजकत्व में गठित समिति पर विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के स्थान पर एक शिक्षक (प्रबन्ध अध्ययन) और एक शिक्षक (विधि) को नियुक्त किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद सं. 3 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना : **विवले**

(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.7(1)एफ.डी.(रूल्स)/98 जयपुर दिनांक 14.08.2008 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वेतन पर देय महंगाई भत्ते के लिए Basic Pay + Dearness Pay की समेकित राशि पर प्रचलित दर 41ः से 6ः की वृद्धि कर दिनांक 01.01.2008 से 47ः किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्र.एफ.6(4) विवले/मदसवि/2007/टवस.II/41650 दिनांक 21.08.2008 जारी किया गया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - II)**

निर्णय **पुष्टि की गई।**

(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u>, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश क्र.एफ.13(1)एफ.डी.(रूल्स)/2005 जयपुर दिनांक 14.08.2008 के अनुरूप ही विश्वविद्यालय पेंशनर्स को पेंशन पर देय महंगाई राहत के लिए Basic Pension + Dearness Pension की समेकित राशि पर प्रचलित दर 41ः में 6 की वृद्धि कर दिनांक 01.01.2008 से 47ः किये जाने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6(41) विवले/मदसवि/2008/Pension/Vol-II/2007/42076 दिनांक 22.8.2008 जारी किया गया है **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - III)** **विवले**

निर्णय **पुष्टि की गई।**

(3) प्रतिवेदन है कि, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्री लेखराज चौधरी, सेवानिवृत्त अभियंता को विश्वविद्यालय में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद के विरुद्ध दिनांक 26.7.2008 से समेकित राशि रू.8000/- प्रतिमाह पर प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन आगामी आदेशों तक नियुक्त किया गया है। तद्नुसार, कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसवि/2008/39785 दिनांक 9.8.2008 जारी किया गया है। (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXIII**) **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गई।**

(4) प्रतिवेदन है कि, प्रो. सतीश अग्रवाल, विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन, संयोजक- प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड एवं संकायाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन संकाय के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त होकर कि, विभाग में संचालित एम.बी.ए. (सर्विस मैनेजमैण्ट), स्ववित्त-पोषी पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता एवं प्रक्रिया, उक्त पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न सामग्रियों के क्रय, सैद्धान्तिक और मौखिक परीक्षाओं के आयोजन के कार्यक्रम, प्रश्न-पत्र निर्माण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत केस स्टडीज़ के व्यय के समायोजन आदि प्रकरणों में प्रोफेसर सतीश अग्रवाल ने विभागाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड के संयोजक एवं संकायाध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन विश्वविद्यालय के नियमानुसार नहीं किया है। अतः इन प्रकरणों में विश्वविद्यालय के परिनियम एवं नियमों में अनुशासनात्मक कार्यवाही और जाँच की प्रक्रिया की जानी चाहिए। अतः निष्पक्ष जाँच हेतु कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रो. सतीश अग्रवाल को कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( ) संस्था/मदसवि/2008/2880 दिनांक 11.8.2008 द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

निर्णय **पुष्टि की गई।**

(5) प्रतिवेदन है कि, डॉ. लोकेश कुमार शेखावत, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद पर नियुक्त होने के कारण माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अवकाश नियम, 1998 के नियम संख्या 31.(प)() के प्रावधान के अनुसार दिनांक 22.3.2006 से दिनांक 31.8.2008 तक अन्यत्र नियोजन हेतु अवैतनिक अवकाश प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि के अध्यधीन स्वीकार किया है, तद्नुसार कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( ) संस्था/मदसवि/2008/ 42916 दिनांक 30.8.2008 **परिशिष्ट-XXXXVII** जारी किया गया है। **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गई।**

मद सं. 4 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय सं.14 दिनांक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ. एन.एम. खण्डेलवाल को जारी कारण बताओ नोटिस क्र.एफ.( )पीए/ कुलसचिव/ मदसवि/ 2006/1445 दिनांक 5.10.2006 के उत्तर में प्राप्त प्रत्युत्तर पर निम्नांकित दस्तावेज़ों के साथ विचार कर निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की दि. 11.6.2008 को आयोजित बैठक में मद संख्या 7 पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे आगामी बैठक में विचार हेतु स्थगित रखा गया। अतः स्थगित मद पर निर्णय करनाः **संस्थापन**

1. कार्यालय आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/6864 दिनांक 12.9.2002 के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 24.10.2002 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -IV)**

2 डॉ. खण्डेलवाल को ज्ञापन क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/ 285 दिनांक 24.10.02 के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप-पत्र की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -V)**

3 जाँच अधिकारी के नियुक्ति के आदेश क्र.एफ.1( )संस्था/मदसवि/2002/ 349-57 दिनांक 26.12.2002 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -VI)**

4 जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 22.3.2003 को प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -VII)**

5 जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर राजस्थान के महाधिवक्ता श्री बी.पी. अग्रवाल से विधिक परामर्श हेतु किए गए निवेदन क्र.एफ.1( ) संस्था/मदसवि/ 2006/1075 दिनांक 18.3.2006 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-VIII)**

6 महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा पत्र क्र.एजी/पीएस/फीस/लीगल/ओपिनियन/ 2006 दिनांक 20.6.2006 के अन्तर्गत प्रदत्त विधिक परामर्श की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -IX)**

7 बोर्ड की निर्णय सं.14 दिक 26.6.2006 की अनुपालना में डॉ.एन.एम. खण्डेलवाल को दिए गए कारण बताओ नोटिस क्र.एफ.()कुलसचिव/मदसवि/ 2006/1445 दि.5.10.2006 की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -X)**

उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर में डॉ. खण्डेलवाल द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर की प्रति। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-XI)**

निर्णय **अगली बैठक में विचार हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 5 दिनांक 16 जुलाई, 2008 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 37वीं (विशेष) बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-XII)** **शैक्षणिक-।**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XII पर प्रस्तुत विद्या परिषद् के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नांकित प्रेक्षणों के साथ किया गया :** **विवले**

<u>निर्णय संख्या 12 पर प्रेक्षण</u> :

स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक कालांश (अवधि अधिकतम तीन घण्टे), जिसके लिए मानदेय रू.300/- तथा सैद्धान्तिक कालांश एक घण्टे, जिसके लिए मानदेय रू.200/- एवं एक माह में अधिकतम रू.8000/- का भुगतान किया जा सकेगा।

मद सं. 6 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-XIII)** **शैक्षणिक-।**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XIII पर प्रस्तुत विद्या परिषद् के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा पटल पर प्रस्तुत प्रस्तावित अध्यादेश 193 (परिशिष्ठ-1) को स्वीकार किया।**

मद सं. 7 विद्या परिषद् की निर्णय संख्य 2 में निर्णय संख्या 8.4 पर प्रेक्षण दिनांक 25.5.2007 एवं विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 2 दिनांक 16.5.2008 के निर्णय के क्रम में अध्यादेश 124.7(iii) में **परिशिष्ठ-XIV** के अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना। **शैक्षणिक-। एवं शोध**

निर्णय **अध्यादेश 124.7(iii) में कार्यसूची के परिशिष्ट-XIV के अनुसार प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया एवं निर्णय किया कि, शोधार्थी द्वारा दो वर्ष की अवधि से पहले शोध के विषय पर एक प्रज़ैन्टेशन प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया जाए।**

मद सं. 8 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 11 दिनांक 16.7.2008 के अनुसार अध्यादेश 124 में **परिशिष्ट-**XV के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों/परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए विचार करना। **शैक्षणिक-। एवं शोध**

निर्णय **अध्यादेश 124 में कार्यसूची के परिशिष्ट-XV के अनुसार प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार किया।**

मद सं. 9 डॉ. निमित रंजन चौधरी को विश्वविद्यालय के अवकाश नियम अध्यादेश 31(1) के प्रावधानान्तर्गत भारत सरकार के भारतीय पर्यटन संगठन व यात्रा प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर में प्रोफेसर के पद पर दिनांक 14.05.2007 से 13.05.2009 तक दो वर्ष के परिवीक्षा पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप प्रोफेसर निमित रंजन चौधरी के आवेदन पत्र दिनांक 9.5.2008 **(परिशिष्ट -** XVI) एवं निदेशक पर्यटन संस्थान, ग्वालियर के पत्र क्रमांक N-Inst(78)2007 दिनांक 12.5.2008 **(परिशिष्ट-** XVII) में की गई अनुशंषा पर विचार कर निर्णय करना। **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-**XVII **पर की गई अनुशंषा को स्वीकार करते हुए दिनांक 13.5.2009 तक डॉ. निमित रंजन चौधरी को, विशेष प्रकरण के रूप में, अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं.10 श्रीमती ज्योति लखानी, सहायक आचार्य (परिवीक्षाधीन) को दिनांक 21.11.2007 से 11.1.2008 तक कुल 52 दिन 'स्वयं के विवाह के कारण' अवैतनिक अवकाश स्वीकार करने और तद्नुसार 52 दिन परिवीक्षा की अवधि बढ़ाए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं.11 श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सहायक कर्मचारी 5.4.2005 को पीटीईटी परीक्षा की सामग्री लेकर किराए की वाहन संख्या आरजे 01-1578 से विश्वविद्यालय कार्य हेतु यात्रा कर रहे थे। शिवपुरा, जोधपुर-पाली मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्री शर्मा को घायलावस्था में जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री शर्मा अपने उपचार के कारण दिनांक 6.4.2005 से 26.2.2006 तक कुल 327 दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए। श्री शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी के तीन चिकित्सकों के हस्ताक्षर से जारी percentage of permanent disability certificate दिनांक 7.1.2008 को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उनकी स्थाई अपंगता 28ः हुई है। विश्वविद्यालय के अवकाश नियम 35 (विशेष अपंगता नियम) के अनुसार उन्हें स्थाई शारीरिक अपंगता होने की सूचना दुर्घटना के तीन माह में देना आवश्यक था। चूँकि, श्री शर्मा यह सूचना दिनांक 6.7.2005 तक नहीं दे पाए और उन्होंने सूचना 7.1.2008 को प्रस्तुत की। अतः 327 दिन के नियमितीकरण का मानवीय आधार पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा को 327 दिन के अवकाश का नियमितीकरण मानवीय आधार पर कर दिया जावे।**

मद सं.12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा संस्तुत अवकाश नियमों पर विचार कर विश्वविद्यालय के अवकाश नियमों में, यदि आवश्यक हो, तो संशोधन प्रस्तावित किए जाने हेतु प्रो. के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 21.8.2008 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-**XVIII) **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-**XVIII **पर प्रस्तुत कार्यवृत का अनुमोदन किया।**

मद सं.13 राजस्थान सिविल सेवा पेंशन रूल्स 1996 के नियम संख्या 66 एवं नियम संख्या 67 के अनुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर पेंशन रेग्यूलेशन (विनियम) 3(4) एवं पेंशन विनियम 39 को **परिशिष्ट** - XIX के प्रस्तावानुसार संशोधित करने और दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 से प्रवृत्त करने पर विचार करना। **विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट -** XIX **के प्रस्तावों को 1 अक्टूबर, 1996 से प्रवृत्त करने का निर्णय किया।**

मद सं.14 राजस्थान सरकार की निम्नांकित अधिसूचना/परिपत्रों/आदेशों में वर्णित प्रावधानों को विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के सभी कर्मचारियों (जिन्हें यू.जी.सी. वेतनमान देय हैं, को छोड़कर) के लिए इस संशोधन के साथ प्रवृत्त करने पर विचार करना कि ''The words 'Governor', 'State Service(s)', 'Government Servent', appeared in these rules and the relevant appendices, schedules shall be read as 'Chancellor', 'University Services', 'University Employees' respectively'' : **संस्थापन**

(क) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(7)वित्त(नियम)/2008 दिनांक 12.9.2008 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-**XX) द्वारा दिनांक 1.9.2006 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 को विश्वविद्यालय में दिनांक 1.9.2006 से प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(ख) राज्य सरकार के परिपत्र एफ.11(7) वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ट -** XXI) के प्रावधान को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन नियतन किए जाने हेतु विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(ग) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7) वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ट-**XXII) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के प्रवृत्त होने के कारण एरियर के भुगतान हेतु किए गए प्रावधान को विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(घ) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(1)एफडी(नियम)/2008 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ट -** XXIII) द्वारा दिनांक 1.9.2006 से महंगाई भत्तों की संशोधित दरों को दिनांक 1.9.2006 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(ङ) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(4) वित्त / नियम / 2007 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ट -** XXIV) द्वारा दिनांक 1.9.2008

से मकान किराए भत्ते और शहर/कस्बे के वर्गीकरण की संशोधित दरों को दिनांक 1.9.2008 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(च) राज्य सरकार के आदेश क्र.एफ.6(2) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -** XXV) द्वारा शहरी क्षतिपूर्ति भत्ते की दरों में दिनांक 1.9.2008 के अनुसार किए गए प्रावधान को दिनांक 1.9.2008 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

(छ) राज्य सरकार की अधिसूचना क्र एफ.(55)जीए/।।/77-पार्ट-1 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ - XXVI**) के अनुसार दिनांक 1.1.2007 से आवास किराए की दरों में किए गए प्रावधान को दिनांक 1.1.2007 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना।

निर्णय **इस मद के साथ ही मद संख्या 18 पर भी विचार किया। पैरा (क) में वर्णित अधिसूचना (परिशिष्ठ ग्द्ध के साथ राज्य सरकार की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6.10.2008 पर भी विचार किया एवं उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों को प्रस्तावित संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया कि इन प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो उसे प्रवृत्त करके बोर्ड को प्रतिवेदित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 15 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(5)वित्त/नियम/96 दिनांक 12.9.2008 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXVII**) के प्रावधानों के आधार पर दिनांक 1.1.2007 से विश्वविद्यालय के सम्बन्धित नियमों में **कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXVIII** में प्रस्तावित संशोधन किए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXVIII पर प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया।**

मद सं. 16 योग विज्ञान एवं मानव चेतना विभाग में विवेकानन्द योग केन्द्र अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर से संविदा पर कार्यरत योग शिक्षकों को दिनांक 1.9.2007 से समेकित पारिश्रमिक राशि रू.16290/- प्रतिमाह दिए जाने के प्रार्थनापत्र दि. 18.9.2008 पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ -** XXIX) **संस्थापन**

निर्णय **योग शिक्षकों को 1.9.2007 से रू.13000/- प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक और विश्वविद्यालय मकान किराया भत्ते की निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता दिए जाने का निर्णय किया।**

मद सं. 17 कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी अथवा उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. एफ.1()संस्था/मदसवि/2007/18763-881 दिनांक 10.9.2007(**परिशिष्ठ-XXX**) का क्रियान्वयन व्यावहारिक दृष्टि से करने के लिए नीति बनाने हेतु प्रो. के. सी. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 26.7.2008 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं (**कार्यसूची का परिशिष्ठ- XXXI**) पर विचार कर निर्णय करना। **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ- XXXI में वर्णित बैठक की अध्यक्षता प्रो. के.के. शर्मा द्वारा की गई थी। निर्णय किया कि-**

1. **'Non income tax payee' विश्वविद्यालय कार्मिकों के, समिति द्वारा परिभाषित आश्रितों को, विश्वविद्यालय परिसर में संचालित नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क शत-प्रतिशत, स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम में शिक्षण शुल्क का 50: छूट सम्बन्धित कर्मचारी के अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक प्रदान कर दी जावे।**

2. **ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में हुई है और उस कर्मचारी पर उसके भाई अथवा बहन, जो बेरोजगार हैं और अविवाहित हैं यदि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें इस प्रयोजन हेतु आश्रित माना जावे।**

मद सं. 18 कार्यसूची के मद संख्या 14(क) में वर्णित परिशिष्ट-**XX** के नियमों के नियम संख्या 21 एवं 22 की अनुसूची संख्या 4 एवं 5 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXII**) पर विचार कर निर्णय करना। **संस्थापन**

निर्णय **निर्णय संख्या 14 पर निर्णय अंकित है।**

मद सं. 19 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 6 दिनांक 27.6.1998 द्वारा विश्वविद्यालय में अंशकालीन होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. पी.के.माथुर, ए-10, नाका मदार कॉलोनी, अजमेर को दिनांक 1.4.2008 से रू. 1500/- प्रतिमाह मानदेय एवं रू.300/- प्रतिमाह वाहन भत्ता में निम्नानुसार वृद्धि किए जाने पर विचार करना : **संस्थापन**

मानदेय राशि रू.2000/- प्रतिमाह
वाहन भत्ता रू.500/- प्रतिमाह

निर्णय **प्रस्तावित मानदेय राशि रू.2500/- प्रतिमाह एवं वाहन भत्ता राशि रू.500/- प्रतिमाह स्वीकार किया तथा 'ऐलोपैथिक चिकित्सक' एवं 'वैद्य' की भी व्यवस्था करने और उन्हें उपर्युक्त मानदेय दिए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 20 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 3 दिनांक 12.9.2008 पर निर्णय संख्या 22 के सम्बन्ध में प्रेक्षण के अन्तर्गत सन्दर्भित समिति की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं पर विचार करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXIV**) **शैक्षणिक**

निर्णय **मद पर विचार स्थगित किया गया।**

मद सं. 21 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 15 दिनांक 12.9.2008 के अन्तर्गत अध्यादेश 98 के प्रारूप पर विचार कर संस्तुतियाँ देने हेतु प्रो.के.के. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक ..... पर विचार कर निर्णय करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXV**) **शैक्षणिक-। गोपनीय**

निर्णय **प्रस्तुत अध्यादेश व्यावहारिक संशोधनों के साथ लागू किए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 22 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार विश्वविद्यालय में दो प्रकार की शोध अध्ययेत्तावृत्ति एवं आर्थिक सहयोग हेतु लागू किए जाने के सम्बन्धित प्रस्तावित अध्यादेश (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXVI**) पर विचार करना। **शोध**

निर्णय **मद पर विचार स्थगित किया गया।**

मद सं. 23 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 25 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय की सेवाओं में लिए जाने हेतु जारी कार्यालय ओदश क्रमांक एफ.1( )मदसवि/ संस्था/2007/2622-43 दिनांक 28.09.2007 को **कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXVII** के अनुसार प्रवृत्त किए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-XXXVII के अनुसार प्रावधान स्वीकार करने का निर्णय किया।**

मद सं. 24 प्रो. श्यामा नंद सिंह, तत्कालीन समाज विज्ञान संकायाध्यक्ष, म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर बनाम कुलाधिपति, म.द.स. विश्वविद्यालय एवं अन्य याचिका क्रमांक 8178/2007 में कुलाधिपति महोदय की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में श्री बी.पी. अग्रवाल, महाधिवक्ता को नियुक्त किए जाने और इस प्रकरण में महाधिवक्ता द्वारा प्रेषित बिल क्रमांक एजी/पीएस/ एसपीएल.पी/2008 दिनांक 7.5.2008 **कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXVIII** के माध्यम से इस प्रकरण में स्वयं के लिए विशेष पारिश्रमिक राशि रू.66000/- और अपने सहयोगी अधिवक्ता श्री आर.के. अग्रवाल के लिए राशि रू.13200/- कुल राशि रू.79200/- का भुगतान किए जाने के प्रकरण में राज्य सरकार के निदेशक, वादकरण की टिप्पणी के आधार पर महाधिवक्ता को अन्तरिम राशि रू.42000/- और उनके सहयोगी को 20: राशि रू.8400/- का भुगतान माननीय कुलपति महोदय के आदेश से किए जाने की पुष्टि करना एवं शेष राशि रू.28800/- के भुगतान पर विचार कर निर्णय करना। **विधि**

निर्णय **निर्णय करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 25 विश्वविद्यालय के बजट मद संख्या 2214-II "Sports, Students Welfare Counselling (under Chief Proctor's office)" को **परिशिष्ट- XXXIX** के प्रस्तावानुसार बजट प्रस्ताव डीन, छात्र कल्याण के अधीन एवं मुख्य कुलानुशासक कार्यालय का बजट हैड, वर्तमान बजट मद संख्या **'2207-** Health Services' के पश्चात् **2207-A" Security Service"** के नाम से नया बजट मद स्वीकृत करते हुए **कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXX** के अनुसार लागू करने पर विचार करना। **विवले, डीन- छात्र कल्याण एवं मुख्य कुलानुशासक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट- XXXIX एवं XXXX के अनुसार बजट मद स्वीकार किया।**

मद सं. 26 विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा समारोह '**बणी-ठणी**' के नाम से आयोजित किए जाने पर विचार करना एवं जनवरी 2009 में 'अन्तर्राष्ट्रीय युवा समारोह बणी-ठणी प्रथम' में भारतीय विश्वविद्यालयों एवं सार्क देशों के विश्वविद्यालयों का 'युवा समारोह' आयोजित किए जाने पर विचार करना। **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **प्रस्ताव स्वीकार किया।**

मद सं. 27 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग/केन्द्र, सम्बद्ध महाविद्यालय, अनुमोदित एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के गरीब छात्रों के लिए **Need cum Merit** आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु एक कॉरपस निधि का गठन किए जाने और उस निधि के ब्याज की राशि से जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु प्रस्तावित नियमों (**कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXI**) पर विचार कर निर्णय करना। **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **कार्यसूची के पर प्रस्तावित नियमों को स्वीकार किया तथा इस प्रयोजन हेतु रू.50.00 लाख की एक कॉरपस निधि का गठन किए जाने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया कि, इस कॉरपस निधि का परिनिरीक्षण (monitoring) निम्नांकित समिति द्वारा किया जाए :**

1. **डीन, छात्र कल्याण - संयोजक**
2. **मुख्य कुलानुशासक - सदस्य**
3. **छात्रावास वॉडर्न - सदस्य**
4. **सहायक कुलसचिव (भुगतान)- सदस्य**
5. **सह-डीन, छात्र कल्याण - सदस्य सचिव**

मद सं. 28 विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए समुचित रोजगार उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय में विभिन्न संस्थाओं, कम्पनियों एवं संस्थानों को आमन्त्रित कर 'कॅरियर फेयर' (रोजगार मेले) का आयोजन किए जाने पर विचार करना। **डीन, छात्र कल्याण**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया।**

मद सं. 29 विश्वविद्यालय का मूल्यांकन **नैक** के अतिरिक्त **नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन** (NBA) एवं **टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज़** (TCS) व अन्य समप्रतिष्ठित संस्थाओं से भी कराए जाने पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया।**

मद सं. 30 अध्यादेश 145 (**कार्यसूची का परिशिष्ट- XXXXII**) जो निर्धारित उपस्थिति की कमी में छूट दिए जाने से सम्बन्धित है, को प्रभावी करने की व्यावहारिकता पर विचार करना एवं यह निर्वचन करना कि, जिस प्राधिकरण/अधिकारी को इस अध्यादेश के माध्यम से छूट देने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, उस प्राधिकरण/अधिकारी द्वारा अपने विवेक से उस शक्ति को क्या हस्तांतरित किया जा सकता है ? **परीक्षा**

निर्णय **उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसके आधार पर 75ः उपस्थिति की अनिवार्यता आवश्यक है, के आधार पर अध्यादेश 145 के प्रावधान निष्प्रभावी हैं।**

मद सं. 31 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 22.9 दिनांक 8.5.2007 द्वारा पुष्टि किए गए कार्यालय आदेश क्रं.एफ.2( )साप्र/मदसवि/2007/24354 दिनांक 15.2.2007 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXIII**) सपठित समसंख्यक आदेश क्रमांक 8333-37 दिनांक 15.6.2007 (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXIV**) में वर्णित पात्र अधिकारियों को आवासीय दूरभाष के उपयोग हेतु बिन्दु क(1) से बिन्दु क(3) तक की शर्तों में निर्धारित सकल कॉल्स पुनर्भरण की वार्षिक सीमा एवज़ में उतनी राशि का नकद भुगतान दूरभाष भत्ते के रूप में किये जाने पर विचार करना। **सामान्य प्रशासन**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-XXXXIV के पैरा क(1) क्रम संख्या 1 से 4 में वर्णित कॉल्स की सीमा के समान राशि का नगद भुगतान पात्र अधिकारी को कर दिया जावे, साथ ही, एक से अधिक पद का प्रभार होने पर निर्धारित राशि का अधिकतम दुगनी राशि का भुगतान देय होगा।**

मद सं. 32 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ, अजमेर जिले के अधीनस्थ न्यायालय एवं श्रम न्यायालय में विधिक प्रकरणों का परिनिरीक्षण एवं संयोजन करने हेतु एक-एक 'स्टैण्डिंग काउंसल' (स्थायी अधिवक्ता) नियुक्त किये जाने पर विचार करना एवं इस प्रयोजन हेतु उसकी नियुक्ति की शर्तों, पारिश्रमिक, कार्य और दायित्व निर्धारित करने पर विचार करना। **विधि**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव सिद्धान्ततः स्वीकार किया। नियुक्ति की शर्तें पारिश्रमिक, कार्य एवं दायित्व प्रस्तावित करने हेतु एक समिति का गठन करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 33 विश्वविद्यालय में विधिक प्रकरणों को संधारित करने एवं उनके सामयिक निस्तारण की व्यवस्था किये जाने हेतु निम्नांकित प्रस्तावों पर विचार करनाः- **विधि प्रकोष्ठ**

(क) किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को, जिसे सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के प्रकरणों का विधि प्रकार से निष्पादन करने, याचिका की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने, जवाब दावा तैयार करने एवं प्रकरणों की पैरवी करने हेतु संविदा पर विधि अधिकारी/विधि सहायक के नाम से नियुक्त किये जाने हेतु पर विचार करना, अथवा

(ख) इस प्रयोजन हेतु राजस्थान सरकार से प्रतिनियुक्ति पर Asstt. Legal Rememberance विचार करना।

निर्णय **उक्त बिन्दु संख्या (ख) को स्वीकार किया। जब तक राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति न हो, तब तक बिन्दु (क) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 34 विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 22.(3)(क) एवं (ख) के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यादेश बनाए जाने हेतु प्रारूपण का कार्य किसी अनुभवी सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय अधिकारी से करवा लिए जाने हेतु विचार करना। **परीक्षा एवं शैक्षणिक-।**

अध्यादेश 22.(3)

(क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या अभ्यावेशन, फीस, किसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाणपत्र या अध्ययेत्ता वृत्ति के लिए अपेक्षित अर्हता या शर्तें।

(ख) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबन्धन की शर्तें सम्मिलित है।

निर्णय **उक्त कार्य अनुभवी सेवानिवृत विश्वविद्यालय अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ से कराए जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं. 35 प्रबध बोर्ड की निर्णय संख्या 10 दिनांक 11.6.2008 में संस्तुति संख्या 6(1, 2, 3 एवं 4) पर प्रेक्षण की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय द्वारा चिकित्सकों, चिकित्सालयों, एक्स-रे, पैथोलॉजी लैब, इन्वैस्टिगेशन/ डायग्नॉस्टिक **विवले**

सैण्टर्स आदि को चिकित्सा पुनर्भरण नियमों के अन्तर्गत मान्यता दिए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु गठित विशेषज्ञों की समिति की दिनांक 25.9.2008 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXXXV)** पर विचार कर निर्णय करना।

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-XXXXV पर प्रस्तुत संस्तुतियों को निम्न संशोधनों के साथ स्वीकार किया :**

समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2 में दी गई तालिका के क्रम संख्या 10 एवं 12 पर वर्णित चिकित्सकों के नाम विलोपित कर दिए जाएं, क्रम संख्या 14 पर डॉ. के.एस. यादव के सम्मुख 'एम.डी.' लिखा जावे। क्रम संख्या 19 पर डॉ. मोहन शर्मा के आगे 'एम.बी.बी.एस.' लिखा जावे।

मद सं. 36 विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों, मान्य संस्थाओं, अनुमोदित संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों और छात्रों के परिवादों का निष्पादन करने हेतु अर्द्धन्यायिक 'परिवाद निवारण मंच' (Grievance Redressal Forum) की स्थापना एवं गठन किए जाने पर विचार करना। गठन से सम्बन्धित नियमों का प्रारूप पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। **विधि एवं संस्थापन**

निर्णय **पटल पर प्रस्तुत Maharshi Dayanand Saraswati University Grievance and Disputes Redressal Forum (परिशिष्ठ-2) को स्वीकार करने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया कि, प्रेसीडैण्ट को सिटिंग चार्जेज़ सहित एक माह में अधिकतम रू.5000/- और सदस्यों को सिटिंग चार्जेज़ सहित रू.4000/- अधिकतम देय होगा।**

मद सं. 37 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) में संशोधन एवं प्रस्तावित निम्नांकित प्रावधान, सत्र 2008-09 से जोड़े जाने पर विचार करना : **शैक्षणिक -। एवं ।।**

(क) In the case of such Teacher's Training colleges, where the College has not applied for affiliation with necessary fee upto 31st December and also 30th May preceding the year from which affiliation is desired, but has obtained 'No Objection Certificate' from the State Govt. and has obtained recognition/permssion for starting B.Ed. Course from National Council for Teachers Education and futher has got the allotment of the subjects from the Commissioner, Secondary Education, Rajasthan, if desires to apply after 30th May, the application may be entertained alongwith a late fee as follows, and an affidavit from the College to the effect that all the necessary conditions of the inspection reports for affiliation will be fulfilled in time.

31st May to 30th June – 2 times of the affiliation fee
1st July to 31st July - 3 times of the affiliation fee
1st August to 31st August - 4 times of the affiliation fee
1st September to 30th September - 5 times of the affiliation fee
1st October to 31st October - 6 times of the affiliation fee

In such cases, 'No Objection Certificate' for allotment of the students for admission to B.Ed. Course in those colleges, may be issued to the Co-ordinator, PTET subject to the condition that the said NOC shall be confirmed only after receiving the inspection

reports of these colleges during that session and if the affiliation is not granted, the liability of admitting students shall lie upon the respective colleges. After receiving such NOC, the college concerned has to publically notify in the newspapers, on the notice board of the college and to all the students allotted to, about this condition before accepting them in the college.

निर्णय **उक्त प्रस्तावित संशोधन को सत्र 2008-09 से जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं. 38 प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 4(3) दिनांक 7.10.2006 की अनुपालना में प्रवृत्त महिला छात्रावास के संचालन व प्रबन्धन सम्बन्धी नियमों में निर्धारित वार्डन, सहायक वार्डन, मैट्रन, लिपिक और सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की अर्हताओं और भत्तों में **कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXVI** के अनुसार प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना। **संस्थापन एवं गार्गी छात्रावास**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ट-XXXXVI में मुख्य वॉर्डन के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित किया। वॉर्डन के लिए मानदेय की राशि प्रतिमाह रू.1000/-, निःशुल्क आवास और टेलीफोन भत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार देने का निर्णय किया। सहायक वॉर्डन के लिए मानदेय रू.800/- प्रतिमाह, निःशुल्क आवास और टेलीफोन भत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार देने का निर्णय किया। मैट्रन के लिए प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया तथा छात्रावास में निःशुल्क दूरभाष की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया। अंशकालीन लिपिक को मानदेय रू.700/- प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय किया।**

मद सं. 39 राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग-। (क) श्रम विभाग अधिसूचना मई 26, 2008 में वर्णित टिप्पणियों सहित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 1 मार्च, 2008 से विश्वविद्यालय में प्रवृत्त करने पर विचार करना और तद्नुसार पुनरीक्षित दरें निम्नानुसार निर्धारित करना : **सामान्य प्रशासन**

नियोजित श्रमिक/ कर्मचारी की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रतिदिन	न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रतिमाह
अकुशल	रू.100/-	रू.2600/-
अर्द्धकुशल	रू.107/-	रू.2782/-
कुशल	रू.115/-	रू.2990/-

इस क्रम में, विश्वविद्यालय सेवा से पृथक किए गए ऐसे अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिक, जो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों एंव अन्य सक्षम न्यायालयों के आदेश से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और न्यायालय के आदेशों के अनुसार उस दर से मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं जो सेवा से पृथक किए गए दिनांक को प्राप्त कर रहे थे, को, मजदूरी की उस दर के स्थान पर न्यायालय का आदेश नहीं होने के उपरान्त भी, पूर्णतः मानवीय आधार पर एवं न्यूनतम मजदूरी की देयता को ध्यान में रखकर (जिसके परिणामस्वरूप कोई विधिक दावा मान्य नहीं होगा) दिनांक 1.3.2008 से न्यूनतम मजदूरी उपर्युक्त दरों के अनुसार दिए जाने पर विचार करना।

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं. 40 प्रबन्ध बोर्ड की निश्चय संख्या 9 दिनांक 25.9.1993 सपठित निर्णय संख्या 16 दिनांक 12.2.1997 द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत 'सिक्यूरिटी गार्ड' की निर्धारित संख्या 38 को बढ़ाकर 60 किए जाने पर विचार करना एवं तीन 'सिक्यूरिटी सुपरवाईज़र' की सेवाएँ लिए जाने पर विचार करना। **मुख्य कुलानुशासक**

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं. 41 शिक्षा ग्रुप-4 विभाग के पत्र क्र.एफ.3(31)शिक्षा-4/2000 दिनांक 5.9.2008 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र एफ.2-16/2002(पीएस) दिनांक 19.7.2008 के आधार पर शिक्षक/सहायक कुलसचिव / सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक- शाारीरिक शिक्षा/ महाविद्यालय निदेशक- शारीरिक शिक्षा को केरियर एडवांसमैण्ट स्कीम के अन्तर्गत रखने / पदोन्नत किए जाने हेतु ओरिएन्टेशन/ रिफ्रेशर कोर्स में तिथि का निर्धारण 30.6.09 तक किए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं. 42 डॉ. राजू रतनानी, सह आचार्य, अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र विभाग द्वारा दिनांक 11.5.2008 से 21.6.2008 तक Southumpton University, United Kingdom में सम्पादित किए गए कार्य की प्रतिवेदन पर विचार करना (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-XXXXVIII**) **संस्थापन**

निर्णय **प्रतिवेदन अभिलिखित किया।**

मद सं. 43 सत्र 2008 की एम.फिल. (संस्कृत) परीक्षा में 75ः या उससे अधिक अंक प्राप्तकर्ता को, यदि ऐसा छात्र/छात्रा उपलब्ध न हो तो एम.ए. (वैदिक वाङ्मय) में 70ः से अधिक अंक प्राप्तकर्ता को और यदि ऐसा भी छात्र/छात्रा उपलब्ध न हो तो एम. ए. (संस्कृत) परीक्षा में 70ः से अधिक अंक प्राप्तकर्ता को **''पंडित राधाकृष्ण पंचोली स्मृति स्वर्ण पदक''** दिए जाने हेतु डॉ. बद्री प्रसाद पंचोली, बी-6, दाता नगर, रैम्बल रोड़, अजमेर द्वारा प्रस्तावित रशि रू.70000/- स्वीकार करने और प्रस्तावित स्वर्णपदक प्रारम्भ किए जाने पर विचार करना।

निर्णय **उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।**

बोर्ड की बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत निम्नांकित मदों पर भी विचार किया गया :

मद सं. 44 श्री कासिम अली खाँ पुत्र श्री जलालुद्दीन, गाँव- माण्डेडा, पोस्ट बालेया तहसील ब्यावर जिला अजमेर को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **जिन शर्तों पर मृतक श्री जलालुद्दीन कार्यरत थे, उन शर्तों पर मानवीय आधार पर समेकित वेतन पर श्री कासिम अली को, यदि वे विश्वविद्यालय में नियुक्ति की अन्य अर्हताएं वे पूरी करते हैं, तो नियुक्ति दे दी जावे।**

निर्णय 45 **विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों में परिशिष्ठ-3 के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करने का निर्णय किया।**

मद सं. 46 विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रबन्धक, अतिथिगृह, जो रू.5000-150-8000 के वेतनमान में कार्यरत है, से प्राप्त पत्र पर विचार कर प्रथम चयनित वेतनमान रू.6500-200-10500 दिए जाने पर निर्णय करना। **संस्थापन एवं सामान्य प्रशासन**

निर्णय **प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रबन्धक, अतिथि गृह के कार्य की प्रकृति को देखते हुए टेलीफोन भत्ता रू.300 प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय किया।**

मद सं. 47 विश्वविद्यालय में कार्यरत उद्यान पर्यवेक्षक जो रू.4000-100-6000 के वेतनमान में कार्यरत हैं, से प्राप्त पत्र दिनांक 11.10.2008 पर विचार कर पद का वेतनमान रू.5000-150-8000 दिए जाने पर निर्णय करना। **संस्थापन एवं सामान्य प्रशासन**

प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। उद्यान पर्यवेक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए टेलीफोन भत्ता रू.300 प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय किया।

मद सं. 48 बोर्ड को अवगत कराया गया कि, श्री आर.के. व्यास (उपकुलसचिव) के विरुद्ध जांच हेतु जारी आरोप-पत्र, उस पर श्री व्यास द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश एवं श्री व्यास को वेतन वृद्धि की देयता के प्रकरण पर प्रबन्ध बोर्ड ने पूर्व में कुलपति महोदय को निर्णय करने हेतु अधिकृत किया था। पूर्व कुलपति द्वारा प्रकरण पर निर्णय नहीं किया है। **संस्थापन**

बोर्ड ने प्रकरण के सभी पक्षों के आधार पर समुचित निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद सं. 49 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(4)एफ.डी.(रूल्स)/97 जयपुर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.12(3)एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 12 सितम्बर, 2008 द्वारा राज्य सरकार में प्रचलित पेंशनर्स एवं फैमिली पेंशनर्स के नियमों में दिनांक 1.9.2006 से किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय नियमों में Regulation No.29(a), 41 एवं 45(बी) Rule No.8(1) of Gratuidty Rules 1970 of Rajasthan University (adopted by M.D.S. University, Ajmer) में परिवर्तन एवं नए Regulation No.29(a), 41 एवं 45(f) को सम्मिलित कर विचार एवं निर्णय करना। (**कार्यसूची का परिशिष्ट-XXXXIX**) **विवले**

निर्णय **उक्त प्रस्तावों को स्वीकार किया और कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि वे इन अधिसूचनाओं के आधार पर आवश्यक संशोधन के साथ पैंशनर्स का वेतन नियतन लागू करें।**

निर्णय 50 **बोर्ड ने सर्वसम्मति से राज्य सरकार को यह प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय किया कि, अजमेर में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 'महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर' को ही बनाया जावे।** **शैक्षणिक**

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवही समाप्त हुई।

कुलपति कुलसचिव

मद सं. 44 स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रमों की आय और व्यय का संधारण केन्द्रीयकृत किए जाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की सामान्य निधि (आन्तरिक स्रोत में) प्राप्ति का नया मुख्य मद Receipts From Self Financing Courses' खोले जाने एवं व्यय के मदों में मद संख्या **2216-** 'Contribution to Funds and Reserve' में नया फण्ड 'Self Financing Scheme Fund' बनाए जाने पर विचार करना। **वित्त एवं लेखा**

निर्णय

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 64वीं बैठक

उपस्थिति-पत्रक

दिनांक : 13.10.2008 **समय : प्रातः 11.00 बजे**

1	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष	----------
2.	प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत, अजमेर (कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य)	सदस्य	----------
3.	प्रो. एस.डी. मिश्रा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य	----------
4.	प्रो. के.सी. शर्मा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य	----------
5.	डॉ. माया बंसल (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य	----------
6.	श्री पी.के. गोयल, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य	----------
7.	डॉ. ओ.पी. गुप्ता, विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (शासन सचिव, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य	----------
8.	शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य	----------
9.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य	----------
10.	श्री एन.के. शर्मा, कुलसचिव	सदस्य सचिव	----------
	श्री दयाल चन्द, वित्त नियंत्रक	विशेष आमंत्रित	----------

कार्यसूची के परिशिष्ठ- XXXI में वर्णित बैठक की अध्यक्षता प्रो. के.के. शर्मा द्वारा की गई।

निर्णय किया कि-

विश्वविद्यालय में कार्यरत 'नॉन इन्कम टैक्स पेइंग' कार्मिकों को समिति द्वारा परिभाषित उनके आश्रितों को नियमित पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क की देयता में शत-प्रतिशत तथा स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम में शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत राशि की छूट परिसर स्थित विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर सम्बन्धित कर्मचारी के अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक प्रदान कर दी जावे।

ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में हुई है और उस कर्मचारी पर उसके भाई अथवा बहन जो बेरोजगार हैं और अविवाहित हैं यदि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तो उन्हें आश्रित मान लिया जावे।